VISION IAS

www.visionias.in

IN 29 JUL 2022

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2212)

Name of Candidate	Mithlesh Kumari Meena		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	66013O
Center	MN	Date	29-07-22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What do you understand by 'constitutionalism'? Highlight various ways in which the Indian Constitution underscores this principle. **(150 words) 10**

'संविधानवाद' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालिए।

संविधानवाद से ~~म~~ तात्पर्य है संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देना तथा सरकार द्वारा ~~लिए~~ बनाए गए ऐसे कानून जो संविधान विरोधी है उनकी समीक्षा करना।

भारतीय संविधान में संविधानवाद को निर्धारित करने वाले उपबंध :-

(i) मौलिक अधिकार ~~कर्तव्य~~ :- (अनुच्छेद 12-35)
ये सरकार पर प्रतिबंध लगाते है कि व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो।

(2) अनुच्छेद 13, 32, 226...।
न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार
↓
सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा।

(3) मिनिमम गवर्नमेंट तथा मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धान्त को प्रेरित करना।

(4) DPSP (Article 36-51)
↳ शासन के मूलभूत तत्व

(5) ~~संविधान में वर्णित~~ संविधान का मूल ढाँचा। (केशवानंद भारती वाद -1973)
↳ एकता, अखण्डता, धर्मनिरपेक्षता आदि।

संविधानवाद सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करता है तथा सभी व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. The Competition Commission of India (CCI) effectively reflects a shift from the era of Licence Raj to a conducive regulatory ambience for enhancing consumer welfare by encouraging competition in the market. Discuss.

(150 words) 10

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने के लिए लाइसेंस राज के युग से एक अनुकूल नियामकीय परिवेश में स्थानांतरण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। चर्चा कीजिए।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

↓

यह उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर समावेशी बाजार के विकास को प्रोत्साहन करता है।

⇒ उपभोक्ताओं हितों का ध्यान रखने हेतु किए जाने वाले उपाय :-

i) उपभोक्ता वस्तुओं के मानकों का निर्धारण

ii) उपभोक्ता वस्तुओं के प्रचार में शामिल व्यक्तियों पर गुणवत्ता की जिम्मेदारी

iii) उपभोक्ता वस्तुओं (खाद्यान्न) पर शाकाहारी, माँसाहारी पदार्थों को चिन्हितकरण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

iv) इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर स्टार का निर्धारण।

v) प्रतिस्पर्धी बाजार की स्थापना।

vi) एकाधिकार से सुरक्षा तथा अनुचित प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबंध।

प्रतिस्पर्धा आयोग उपभोक्ताओं के कल्याण को ध्यान में रखकर फैसले लेता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Mention various initiatives taken for online delivery of judicial services in India. Also, discuss the challenges faced in their implementation.

(150 words) 10

भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए प्रारंभ विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

भारतीय न्यायपालिका के समक्ष लगभग 4.6 करोड़ मामले लंबित है तथा जेलों में बंद लगभग 70% कैदी विचाराधीन है इसलिए त्वरित न्याय की संकल्पना को सिद्ध करने के लिए न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी पर बल दिया जा रहा है।

ऑनलाइन न्यायिक सेवाओं की प्रदायगी हेतु आरंभ की गई पहलें :-

i) ई. कोर्ट :- इसके माध्यम केसों की सुनवाई ऑनलाइन की जा सकती है तथा गवाहों की पेशी वीडियो कॉल के माध्यम से।

ii) NATGRID :- सभी अपराधियों की सूचना को online Database पर जमा करना।

iii) न्यायालयों में लंबित वादों ~~को~~ में से एक जैसे मामलों को छाँटकर सभी की सुनवाई एक साथ करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

iv) न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों को सुरक्षित रखना तथा न्यायपालिका को पेपरलेस बनाना।

ऑनलाइन सेवा प्रदायगी में आने वाली बाधाएँ-

i) डिजीटल डिवाइड :- अधिकतर अपराधी निचले वर्ग के होते है जो डिजिटली साक्षर नही होते।

ii) साइबर सुरक्षा का खतरा

iii) न्यायालयों में आधारभूत अवसंरचना के विकास का अभाव।
→ भारत के लगभग 73% न्यायलयों में Digital Infrastructure उपलब्ध नही है।

समय पर न्याय उपलब्ध कराने हेतु तथा न्यायपालिका में लोगों का भरोसा बनाए रखने हेतु न्यायपालिका को डिजिटलीकृत करना होगा ताकि शीघ्र न्याय प्राप्ति के साथ पारदर्शिता को बढ़ावा मिले।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Bring out the similarities and differences in the Bill of Rights in the Constitution of the United States and Fundamental Rights in the Constitution of India. **(150 words) 10**

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उपबंधित बिल ऑफ राइट्स और भारत के संविधान में मूल अधिकारों के मध्य समानताओं और भिन्नताओं को रेखांकित कीजिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करने हेतु Bill of rights का प्रावधान किया गया तथा भारत में संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया।

Bill of rights एवं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में समानता :-

i) ये दोनों देशों के नागरिकों अधिकार प्रदान करते है ताकि उनका सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास सुनिश्चित हो सके।

ii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से प्रेरित है।

iii) प्रकृति में नकारात्मक है।
↳ सरकार क्या नहीं कर सकती यह बतलाते है।

iv) सभी विधियों में सबके ऊपर है।

असमानता :-

Bill of Rights	Fundamental Rights
i) स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि सरकार किन-किन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।	i) स्पष्ट प्रावधान नहीं है इन्हे लागू करने हेतु Act बनाना पड़ा है जैसे अनुच्छेद - 17 के लिए Civil Rights Act, 1955।
ii) वहाँ के नागरिकों को हथियार (बन्दूक) रखने का अधिकार है।	ii) भारतीय नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार नहीं है।
iii) संविधान संशोधन आसान नहीं है इसलिए उनमें परिवर्तन करना भी मुश्किल है।	iii) संविधान में संशोधन करके युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते है तथा समाप्त भी किए जा सकते है। ↳ संपत्ति का अधिकार (अब कानूनी अधिकार है) Article 300(A)
iv) नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है।	
v) धार्मिक मामलों को संविधान में शामिल नहीं किया गया है।	vi) भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हुए भी धार्मिक स्वतंत्रता इत्यादि से संबंधित मामलों को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 25-28) में शामिल किया गया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. It is often argued that the implementation of The Forest Rights Act (FRA), 2006 has so far been tardy and ineffectual. Discuss. **(150 words) 10**
प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहा है। चर्चा कीजिए।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के द्वारा वन में रहने वाले व्यक्तियों 4 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए है।

(1) टाइटल अधिकार

(2) उपयोग का अधिकार

(3) वन प्रबंधन का अधिकार

(4) राहत एवं विकास का अधिकार

अभी तक वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहा है :—

i) वन निवासियों को अधिनियम में दिए गए सभी अधिकारों की को प्रदान नही किया गया है।

ii) विकास परियोजनाओं के चलते उनका विस्थापन हो जाता है तथा उनका निश्चित

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

पुर्नवास भी सुनिश्चित नही हो पाता है।

iii) ग्रामसभा के निर्णयों को ~~मान्य~~ स्वीकृति नही दी जाती है।

iv) minor forest product को एकत्रित करने में बाधा।

v) जनजातियों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता का अभाव

जनजातियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए तथा सिविल सोसायटी के माध्यम से जनजातियों एंव सरकार के मध्य की दूरी को पाटना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Explain the rationale behind the creation of a Social Stock Exchange in India. Do you think this move would boost social impact investing in the country? **(150 words) 10**

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे निहित तर्क की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस कदम से देश में सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा?

सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन धन की प्राप्ति कर सकते हैं।

Social stock exchange के सृजन के पीछे निहित तर्क :-

i) सामाजिक कल्याण में निवेश को बढ़ाना

ii) इस क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के समक्ष धन की कमी की समस्या का समाधान

iii) सामाजिक कल्याण हेतु सरकार पर निर्भरता को कम करना।

iv) इससे समाज के निर्धन वर्गों तक सुविधाओं को पहुँचाना आसान होगा।

v) सामाजिक कल्याण में कार्यरत संगठनों का Database बनाना आसान होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Social stock exchange से सामाजिक प्रभाव वाले निवेश में वृद्धि ही हो यह आवश्यक नहीं है।

i) लोगों के मध्य विश्वास उत्पन्न करना कठिन होगा।

ii) निवेशकर्ताओं को आकर्षित करना आसान नहीं होगा।

किन्तु फिर भी यह एक नया कदम है शुरुआत में हो सकता है आशानुरूप सफलता की प्राप्ति न हो ~~किन्तु~~ फिर भी धीरे-धीरे इसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और निवेश में वृद्धि होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The National Digital Health Mission (NDHM) has the potential to bring a new revolution in India's health sector in multiple ways. Explain. (150 words) 10

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रक में कई तरह से एक नई क्रांति लाने की क्षमता है। व्याख्या कीजिए।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
↓
इसके तहत स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाओं हेतु ऑनलाइन परामर्श के साथ-साथ मरीजों के रिकॉर्ड को संरक्षित रखा जाएगा।

NDHM के ~~काम~~ लाभ :-

i) मरीजों के रिकॉर्ड का संरक्षण

ii) ~~म~~ लोगों की बीमारियों का निदान तथा आवश्यक दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन।

iii) मरीजों के लक्षण तथा रोगों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध होगी।
↓
शोध कार्यों में मदद मिलेगी तथा समय पर टीके एवं दवाईयों का विकास संभव होगा।

iv) Online चिकित्सीय परामर्श सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ायेगा।

NDHM में बाधाऐं :-

i) साइबर सुरक्षा की समस्या
ii) मरीज की प्राइवेसी को खतरा
iii) डिजिटल अवसंरचना का अभाव
iv) डिजिटल डिवाइड की समस्या

WHO के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 लोगों पर 44.2 ~~कर्मि~~ स्वास्थ्य कर्मियों का होना आवश्यक है किन्तु भारत में इसका आधा ही उपलब्ध है इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर इस गैप को भरा जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. While participation of private sector in the higher education system of India is a necessity, it creates issues that need careful redressal. Discuss. **(150 words) 10**

हालांकि भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक अनिवार्यता है, लेकिन यह ऐसे मुद्दे उत्पन्न करता है जिनका सावधानीपूर्वक निवारण किए जाने की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

New education policy - 2020 के तहत उच्चतर शिक्षा में विदेशी संस्थानों को अनुमति देने के साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

उच्चतर शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता तथा इसके लाभ :-

i) शिक्षा के क्षेत्र में निवेश में वृद्धि
ii) सरकार पर शिक्षा भार में कमी
iii) नवाचार तथा तकनीक का आगमन होगा
iv) प्रतिस्पर्धा में वृद्धि से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थानों के समन्वय में वृद्धि
v) विदेशी संस्थानों के आगमन से वैश्विक स्तर की शिक्षा, अवसंरचना, तकनीक का आगमन।
vi) कौशल विकास में वृद्धि से Demographic Dividend का लाभ उठा पायेंगे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्रक की भागीदारी से उत्पन्न मुद्दे:—

i) निजी शिक्षण संस्थाओं में अनुचित प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न हो सकते है।

नए खतरे
- भाई-भतीजावाद
- भ्रष्टाचार
- फर्जी डिग्री

ii) उच्चतर शिक्षण व्यय में वृद्धि
- गरीब लोग वहन करने में सक्षम नही।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है किन्तु इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए तथा कौशल विकास को प्राथमिकता के साथ-साथ Vocational Education को शिक्षा का एक भाग बनाया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Highlighting the significance of Central Asia for India, discuss the challenges in strengthening the Indo-Central Asian relationship. **(150 words) 10**

भारत के लिए मध्य एशिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, भारत-मध्य एशियाई संबंधों को मजबूत करने के समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

मध्य एशिया के देशों में सोवियत संघ से अलग हुए देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इत्यादि तथा मंगोलिया आता है

भारत के लिए मध्य एशिया का महत्व :-

i) खनिज संसाधनों की प्राप्ति हेतु
→ यूरेनियम (कजाकिस्तान) आदि
ii) हाईड्रोकार्बन तथा कार्बन की प्राप्ति (आर्थिक क्षेत्र में सहयोग)
iii) भारत के लिए एक बड़ा बाजार
iv) संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु सहयोग।
v) आतंकवाद के मुद्दे पर इनका समर्थन
vi) भारत को वैश्विक शक्ति बनने के लिए विश्व में अपनी सॉफ्ट पावर का प्रसार करना होगा।
vii) भारत की शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति तथा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चीन के आस-पास के क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाना।

* मध्य एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने में चुनौतियाँ :-

- स्थल तथा जलीय मार्ग की अनुपलब्धता
- चीन का बढ़ता प्रभाव
- भारत के पास निवेश हेतु पर्याप्त धन की अनुपलब्धता
  - Projects समय पर पूरे नहीं करना

* भारत द्वारा मध्य एशिया से संबंध बढ़ाने हेतु किए गए प्रयास :-

- चाबहार बंदरगाह (ईरान) जरांज-डेलाराम मार्ग (अफगानिस्तान) का विकास।
- SCO में सहभागिता
  - RATS
- INSTC → International North South Transit Corridor.
- सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना।

भारत तथा मध्य एशिया संबंध समय की आवश्यकता है ताकि भारत वैश्विक स्तर पर अपनी एक मजबूत पहचान बना सके तथा चीन को नियंत्रित कर सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Discuss the role that the Indian diaspora can play in the making of "Aatmanirbhar Bharat" (self-reliant India). Also, mention the challenges in this regard. **(150 words) 10**

"आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में विद्यमान चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए।

आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की विदेशों पर निर्भरता को घटाते हुए विनिर्माण के क्षेत्र में Demographic divendend का लाभ उठाते हुए मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण करना।

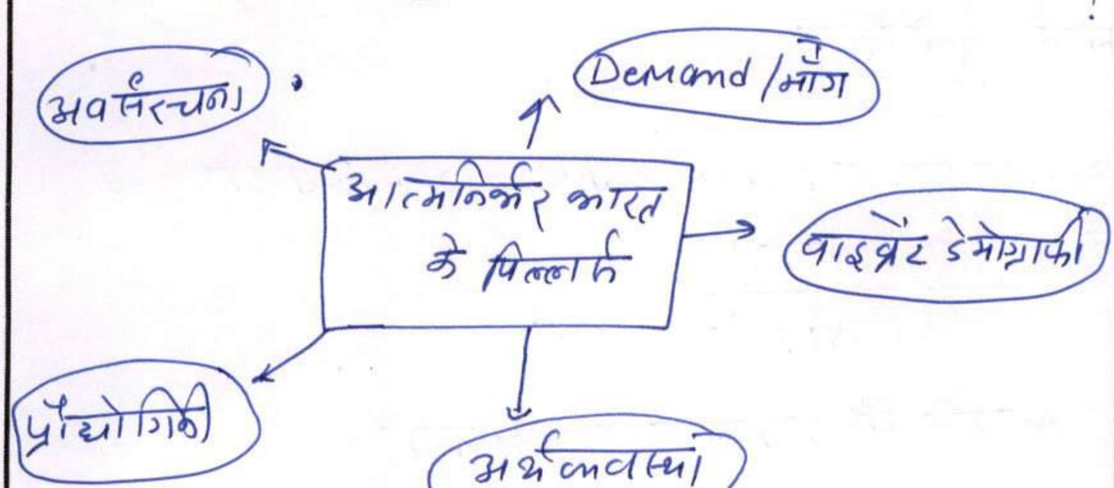

भारतीय डायस्पोरा द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका :-

i) भारतीय डायस्पोरा वैश्विक स्तर भारतीय संस्कृति से लोगों को अवगत कराता है
↳ भारतीय वस्तुओं की माँग जनरेट होती है

ii) दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करने में।

iii) रेमिटेंस भेजने में (2021 में 83 बिलियन डॉलर)

iv) भारत में निवेश में वृद्धि
↳ तकनीक का प्रसार

विद्यमान चुनौतियाँ

↳ भारत द्वारा Demographic Dividend का लाभ नहीं उठा पाना।
↳ कौशल की कमी
→ लोगों में उद्यमिता का अभाव
→ पर्याप्त निवेश तथा तकनीक का अभाव
→ आधारभूत अवसंरचना का अभाव
→ भ्रष्टाचार आदि।

~~भारत~~ आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने वोकल फॉर लोकल के साथ Make in India, start up India, stand up India, skill development mission आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. A critical appraisal of the outcomes of the 74th Constitutional Amendment Act underlines the need for second-generation reforms to strengthen decentralisation of urban local governance in India. Discuss. **(250 words) 15**

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भारत में शहरी स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने हेतु दूसरी-पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चर्चा कीजिए।

भारत में 1992 में संविधान में संशोधन करते हुए 12 वीं अनुसूची को शामिल किया जिसमें शहरी स्थानीय शासन हेतु नगरपालिका, नगर पंचायत तथा नगर निगम के प्रावधान किये गए।

74वाँ संविधान संशोधन (शहरी स्थानीय शासन) की विशेषताएँ

- सत्ता का विकेन्द्रीकरण
- वित्त आयोग (राज्य), निर्वाचन (आयोग) का प्रावधान
- जिला योजना समिति
- पिछड़े / वंचित वर्गों को आरक्षण आदि

74 वें संविधान संशोधन के परिणाम

- 18 विषयों का प्रावधान किया।
- सत्ता का विकेन्द्रीकरण होने से प्रशासन में लोगों की सहभागिता बढ़ी।
- शहरी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिला
  - स्थानीय लोगों की समस्याओं पर फोकस

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ शहरों में आधारभूत अवसंरचना का विकास
↳ सड़क, सीवेज सिस्टम आदि।
→ स्थानीय समस्याओं का समाधान

शहरी स्थानीय शासन में उत्पन्न होने वाले मुद्दे :-

i) धन की कमी
↳ वित्त के लिए स्थानीय निकाय राज्य सरकारों पर निर्भर होते है।

ii) सभी विभागों का हस्तांतरण नहीं हो पाता।

iii) दलीय राजनीति
↳ भ्रष्टाचार में वृद्धि

iv) धनबल तथा बाहुबल के प्रयोग ने वंचित वर्गों की सहभागिता को सुनिश्चित होने में बाधा उत्पन्न की है।

v) नगरों के नियोजन को ध्यान मे नहीं रखा गया।

Way Forward :-

i) शहरी स्थानीय निकायों को धन उपलब्धता सुनिश्चित करवानी चाहिए।
↳ municipality Bonds को बढ़ावा दिया जाना चाहिए (पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर आदि शहरों में प्रचलन)
ii) सभी विषयों का हस्तांतरण किया जाना चाहिए
iii) SMART शहरों की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए शहरों के विकास पर बल।
iv) पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ाने हेतु e. Governance को प्रोत्साहन।
v) Social Audits तथा आदर्श सिटीजन चार्टर को लाना।

UN के अनुसार 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी इससे शहरी अवसंरचना पर बोझ बढ़ेगा जिसके लिए Tier-2 तथा Tier-3 शहरों के विकास के साथ-साथ SMART Village की संकल्पना पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. It is argued that unchecked and rampant exercise of the power to insert laws in the Ninth Schedule results in undermining of Constitutional supremacy and creation of Parliamentary hegemony. Do you agree? Justify your stand with logical arguments. **(250 words) 15**

यह तर्क दिया जाता है कि नौवीं अनुसूची में विधियों को सम्मिलित करने की शक्ति के अनियंत्रित और व्यापक स्तर पर प्रयोग से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी और संसदीय आधिपत्य का सृजन होता है। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने मत की पुष्टि कीजिए।

आजादी के पश्चात् भूमि सुधारों को महत्व देते हुए संविधान में प्रदत्त कुछ मूल अधिकारों (जैसे अनुच्छेद -32,19) को सीमित करते हुए नीति निदेशक तत्वों को महत्व प्रदान किया गया।

नौवीं अनुसूची के प्रावधान

i) पहले संविधान संशोधन द्वारा इसकी स्थापना की गई।

ii) इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा।

iii) बाद में धीरे - धीरे इस अनुसूची का दुरुपयोग किया जाने लगा तथा अन्य प्रावधानों (तमिलनाडु में आरक्षण सम्बंधी मुद्दा) को भी इसमें शामिल किया गया।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

iv) 1973 में केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि नौवीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है।

नौवीं अनुसूची से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी तथा संसदीय आधिपत्य का सृजन :—

i) इसमें शामिल मुद्दों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर देने से न्यायालय की शक्तियाँ कम हुईं।

ii) सरकार की शक्ति में वृद्धि हुई क्योंकि सरकार संविधान में संशोधन कर किसी भी मुद्दे को इस सूची में जोड़ सकती है।

iii) लोगों के अधिकारों में कमी आई
↳ संपत्ति का अधिकार खत्म
↳ कानूनी अधिकार बनाया
अनुच्छेद 300(क)

iii) न्यायिक समीक्षा से बाहर करके संविधानवाद की उपेक्षा की गई।

किन्तु यह अनुसूची कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने में सहायक सिद्ध हुई है।

i) भूमि सुधारों में आने वाली बाधाओं को समाप्त किया।
↳ जमींदारों के विरोध को समाप्त करके न्यायालयों में बढ़ने वाले मुद्दों को समाप्त किया।

ii) समतामूलक तथा समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिला।

iii) 1973 में न्यायालय द्वारा इसमें शामिल किए जाने वाले मुद्दों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में शामिल किया गया।

1973 में केशवानंद भारती वाद में संविधान के मूल ढाँचे की संकल्पना आई जो ~~संसद पर~~ संसद द्वारा किए जाने वाले संविधान संशोधनों पर लगाम लगाती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Asymmetry is an important characteristic of federalism in India, which has helped in the accommodation of diverse demands inherent in our democracy. Discuss. **(250 words) 15**

असममिति भारत में संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसने हमारे लोकतंत्र में निहित विविध मांगों के समायोजन में सहायता प्रदान की है। चर्चा कीजिए।

भारतीय संघवाद में असममिति
⇓
विभिन्न भारतीय राज्यों को एकसमान अधिकार न देकर कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान किये गए है।

संघवाद में असममिति तथा हमारे लोकतंत्र में निहित विविध माँगों के समायोजन में सहायता :—

i) कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।

इसमें पिछड़े तथा पहाड़ी राज्यों को शामिल किया गया है
↳ पूर्वोत्तर के राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल जम्मू-कश्मीर, आंध्रप्रदेश आदि।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ii) राज्यसभा के सीटों में असमानता।

iii) जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था

iv) अनुसूचित जनजातियों के निवास स्थान वाले राज्यों में PESA Act. 1996 लागू करने के प्रावधान।

v) छठी अनुसूची → असम, मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम को विशेष सुविधाएँ।

असममित संघवाद के लाभ :-

i) जिन राज्यों को विकास हेतु अधिक सहायता की आवश्यकता है उन्हे अधिक Fund प्रदान करने से उनका समावेशी विकास
- → 90% केन्द्र द्वारा
- → 10% राज्य द्वारा

ii) जनजातियों के निवास स्थान वाले राज्यों में जनजातियों की स्वायत्तता तथा उनके अधिकारों की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान

iii) राज्यसभा जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व

iv) जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थितियों को देखते हुए Article-370 का प्रावधान किया गया था।

असममित संघवाद के नुकसान :-

i) अन्य राज्यों द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की माँग → बिहार, राजस्थान द्वारा
→ क्षेत्रवाद तथा राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि।

ii) जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 के कारण
→ घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन
→ महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ
→ उत्तराधिकार में
→ असमावेशी विकास तथा अलगाववाद में वृद्धि।

असममित संघवाद में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व वाले राज्यों (सीमा पर स्थित) तथा पिछड़े राज्यों के विकास हेतु प्रावधान किये जाने चाहिए जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिले।

14. In India, the Finance Commissions are established pursuant to the constitutional mandate. In this context, do you think the State Finance Commissions have been effective in promoting fiscal federalism? Substantiate with arguments. **(250 words) 15**

भारत में वित्त आयोगों की स्थापना संवैधानिक अधिदेश के अनुसार की जाती है। इस संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि राज्य वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं? तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए।

भारत के संविधान में अनुच्छेद-280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना के प्रावधान है। राष्ट्रपति प्रत्येक पाँच साल में या आवश्यकता होने पर उससे पहले वित्त आयोग का गठन कर सकता है।

वित्त आयोग के कार्य :-

i) वित्त का उर्ध्वाधर (केन्द्र से राज्यों) तथा क्षैतिज (राज्यों के मध्य) वितरण।

ii) राज्यों की वित्तीय स्थिति का परीक्षण तथा निर्देश।

iii) स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण संबंधी सिफारिशें।

iv) अन्य कार्य जो राष्ट्रपति सौंपे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

राज्य वित्त आयोग :- इसका प्रावधान स्थानीय शासन संबंधी 73 वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के तहत ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय ~~क्ष~~ निकायों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया।

i) यह स्थानीय निकायों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करता है।

ii) राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण के लिए सिफारिश करता है।

iii) स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमताओं का आकलन करता है।

वित्त आयोग द्वारा संघवाद को बढ़ावा देने हेतु किए गए कार्य :-

i) राज्यों को वित्तीय मामलों में स्वायत्तता प्रदान ~~की है~~ करने की सिफारिश की है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ii) 14 वें वित्त आयोग ने वित्तीय हस्तांतरण को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया।

iii) सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देता है।
GST- संबंधी प्रावधान

iv) राज्यों के अन्य मामले → अवसंरचना का विकास, जनसंख्या, राजकोषीय स्थिति कर-GDP अनुपात आदि का परीक्षण तथा इसमें सुधार हेतु सुझाव प्रदान करता है।

राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण हेतु सिफारिश तथा इन निकायों की वित्तीय क्षमताओं का आकलन करते है किन्तु स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण नहीं होने से निधि की कमी के कारण इन निकायों को आशानुरूप सफलता नहीं मिली है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Reduction in the overall size of the bureaucracy has been seen as the underlying idea behind civil services reforms. Is it a good idea to reduce the size of the Indian bureaucracy? Examine in light of the experience of India.
(250 words) 15

नौकरशाही के समग्र आकार में कमी को सिविल सेवाओं में सुधार के पीछे अंतर्निहित विचार के रूप में देखा गया है। क्या भारतीय नौकरशाही के आकार को कम करना एक उपयुक्त विचार है? भारत के अनुभव के आलोक में परीक्षण कीजिए।

भारतीय सिविल सेवाओं को Steel frame of India कहा जाता है। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सिद्ध में सहायक है।

भारतीय नौकरशाही में व्याप्त समस्याएँ :-

i) औपनिवेशिक मानसिकता
ii) लालफीताशाही
iii) भ्रष्टाचार
iv) अपारदर्शिता तथा नवाचार को अपनाने में संकोच
v) कुलीनता के कारण जनसामान्य से जुड़ाव नहीं
vi) अकर्मण्यता
vii) दक्षता में कमी।
viii) अनामिता के सिद्धान्त का उल्लंघन तथा राजनीति के साथ गठजोड़

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारतीय नौकरशाही को कम करने के लाभ:-

i) minimum govt. और मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को सिद्ध करना।

ii) सरकार की भूमिका को कम करके निजीकरण को बढ़ावा देना
- → भ्रष्टाचार में कमी
- → कार्यकुशलता में वृद्धि
- → दक्षता तथा नवाचार में वृद्धि

iii) धीरे-धीरे सरकार का कार्य कम हो रहा है।

iv) लोक सेवक में उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही नहीं होने के कारण सरकारी सेवाओं की दक्षता में कमी आयी है तो इसके छवि निजावहोगी।

v) चलता है कि प्रवृत्ति में कमी।

vi) पेंशन तथा तनख्वाह में होने वाली सरकारी खर्चे में कमी।

किन्तु सिर्फ नौकरशाही के आकार को कम करके सिविल सेवाओ में सुधार संभव नहीं है इसके लिए निम्न प्रावधान भी आवश्यक है।

i) सिविल सेवाओ की कार्यप्रणाली में सुधार

तथा e-Governance को बढ़ावा देना
↳ उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही में वृद्धि

ii) Rule based से Role based नौकरशाही का निर्माण।

iii) कुलीन कल्चर में कमी करना

iv) लेटरल एन्ट्री को बढ़ावा देना।

v) पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना।

भारतीय सिविल सेवाएँ अभी कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है। ~~भारत~~ इसके लिए सिविल सेवाओं में सुधार हेतु कर्मयोगी मिशन, परीक्षा मे एथिक्स का पेपर शामिल करना, लेटरल एन्ट्री प्रणाली लाना जैसे प्रावधान किए गए है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. There is a need to ensure better ethical standards, accountability and management of temples in India. Discuss in the context of issues associated with state intervention in management of temples. **(250 words) 15**

भारत में मंदिरों के बेहतर नैतिक मानकों, जवाबदेही और प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो सभी नागरिको धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) को उपलब्ध करवाता है किन्तु लोक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है।

मंदिरों के बेहतर नैतिक मानक, जवाबदेही और प्रबंधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता-

i) मंदिरों पास दान मे बहुत मात्रा में धन आता है।

ii) इस धन का सदुपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है।

iii) यह धन कर रहित होता है।

iv) नागरिकों तथा तीर्थयात्रियों को पर्याप्त

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुविधाएं उपलब्ध करवाने मंदिर प्रबंधन बोर्ड असफल रहते है।

v) भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता।
↳ Black money /economy में वृद्धि।

vi) तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईंनाथ तथा मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिरों में बेहताशा दान मिलने के कारण के सबसे अमीर मंदिरों मे शामिल है।

vii) वैष्णो देवी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल जहाँ प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ सीमापर आतंकवाद का खतरा रहता है वहाँ सरकार ही सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है।

इसलिए मंदिरों को राज्य के नियंत्रण मे रहना चाहिए ताकि भक्तों की सुरक्षा के साथ स्थानीय नागरिकों के विकास तथा मंदिरों में सुविधाओं मे वृद्धि कर सकें।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

~~सकारात्मक~~ ~~पक्ष~~
सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ

पक्ष :—

i) धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा
ii) भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है।
iii) अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों का नियोजन उन धर्म के लोगों द्वारा ही किया जाता है।

इन सभी मुद्दे के बावजूद सरकार का हस्तक्षेप करना तथा मंदिरों को नियंत्रण में लेना आवश्यक है। क्योंकि हिन्दू धर्म में जातिव्यवस्था के चलते निचली जातियों के प्रवेश का मुद्दा तथा मंदिरों के ट्रस्टों द्वारा भ्रष्टाचार का मुद्दा चर्चा में रहता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. What do you understand by feminisation of old age? Highlight the issues associated with it in the Indian context. Also, mention the measures taken by the government in this regard. **(250 words) 15**

वृद्धावस्था के नारीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में इससे जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

वृद्धावस्था का नारीकरण

इसके तात्पर्य है वृद्ध जनसंख्या में नारियों की संख्या का बढ़ना। स्त्रियों की जीवन प्रत्याशा अधिक होने के कारण वृद्ध जनसंख्या में इनका प्रतिशत बढ़ रहा है।

वृद्धावस्था के नारीकरण से जुड़े मुद्दे—

i) वृद्धों में होने वाली बीमारियाँ
↳ अल्जाइमर आदि

ii) महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलने के कारण वृद्धावस्था में उनकी निर्भरता अधिक होती है

iii) महिलाओं में साक्षरता दर कम होने के कारण उन्हें अन्य कार्यों में नियोजित

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

नहीं किया जा सकता है।

iv) जीवनभर घरेलू कार्यों या अकुशल श्रम या असंगठित क्षेत्र में नियोजित होने के कारण पेंशन जैसी सुविधाओं का अभाव।

v) वृद्ध महिलाओं के समक्ष भोजन, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को लेकर अधिक असुरक्षा।

vi) विधवा तथा वृद्ध महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं होने कारण परिवार के सदस्य घर से बाहर निकाल देते है। मथुरा तथा वृंदावन में वृद्ध महिलाओं के निवास स्थान इसी वजह से है।

vii) यौन शोषण का शिकार होती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(1) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
↳ पेंशन का प्रावधान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) प्रधानमंत्री वयोश्री योजना
↳ वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों हेतु यंत्र प्रदान करना।
सुनने (कान) देखने (चश्मा) आदि)

(3) इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना

(4) विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करना

भारत में वृद्ध आबादी धीरे-धीरे बढ़ेगी इसलिए भविष्य के लिए भारत को अभी से तैयार रहना चाहिए :-

i) मानसिक स्वास्थ्य तथा वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों हेतु अवसंरचना का विकास।

ii) वृद्धों को अच्छा माहौल उपलब्ध करवाने हेतु 'बापू की कुटिया' जैसे प्रावधानों को बड़े स्तर पर लागू करना।

iii) संपत्ति में अधिकार सुनिश्चित करना।

iv) बच्चों में संयुक्त पारिवारिक मूल्यों का विकास करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Given its impact on both individual resilience and the resilience of the economy, is there a case for strong universal social protection in India? Discuss. **(250 words) 15**

व्यक्तिगत लचीलेपन और अर्थव्यवस्था की प्रत्यास्थता दोनों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, क्या भारत में सुदृढ़ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है? विवेचना कीजिए।

भारत विकासशील देश होने के साथ-साथ 2023 में विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। संसाधनों पर जनसंख्या अधिक दबाव तथा असमावेशी विकास के कारण वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार पर बना हुआ है।

सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास:—

i) वंचित वर्गों को संविधान में सुरक्षा संबंधी प्रावधान।
↳ मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 330, 332, 338, 338(क)

ii) कानूनों को लाना
एट्रोसिटी एक्ट, 1989; PESA Act, 1996, FRA, 2006

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

iii) महिलाओं के लिए दहेज प्रतिषेध, बाल विवाह निषेध तथा PCPNDT एक्ट।

iv) LGBTQ के लिए समान अधिकारों का
↳ विधान

v) दिव्यांगों हेतु सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण तथा सुगम्य भारत अभियान।

vii) वृद्धों हेतु अनेक सरकारी योजनाएँ
↳ प्रधानमंत्री वय वंदना, वयोश्री योजना।

सभी प्रावधानों के बावजूद अभी भी भारत में लगभग 20% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। असमावेशी विकास के कारण भारत के टॉप-1% लोगों के पास 77% संपत्ति विद्यमान है।

i) अभी भी लोग योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं है
↳ डिजिटल डिवाइड
↳ कागजों की अपर्याप्त (प्रमाणपत्र)

ii) जातिव्यवस्था के कारण वंचित वर्गों में इनकी संख्या अधिक है किन्तु जातिव्यवस्था के नए-नए स्वरूप सामने आने से बाधाएँ आ रही है।

iii) जनजातियों को पर्याप्त अधिकार नहीं होने तथा सरकार की इन तक पहुँच नहीं होने FRA, 2006 का उचित क्रियान्वयन नहीं होने से सामाजिक लाभ नहीं मिल रहा है।

iv) भ्रष्टाचार तथा सरकारी नौकरों की अकर्मण्यता के कारण सामाजिक लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पा रहा है।

सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान हेतु e-Governance को बढ़ावा दिया जा रहा है JAM (जनधन, आधार, मोबाइल) के द्वारा Direct Benefit transfer पर बल दिया जा रहा है तथा one Nation one Ration card के आने Food security सुनिश्चित हो पाएगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. There have been arguments that with the old global multilateral order failing to manage rising challenges, issue-based coalitions are gaining traction and have become the arenas of functional cooperation. Discuss. **(250 words) 15**

ऐसे तर्क दिए गए हैं कि पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था बढ़ती चुनौतियों का प्रबंधन करने में विफल रही है, जबकि मुद्दे-आधारित गठबंधन लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र बन गए हैं। चर्चा कीजिए।

विश्व की व्यवस्था बहुपक्षीय तथा मुद्दो दोनों के आधार पर बनी रही है किन्तु वर्तमान में मुद्दों पर अधिक बल दिये जाने से यह मुद्दों की ओर झुकती दिखाई दे रही है।

i) जलवायु परिवर्तन का मुद्दा

विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य विभेद।

ii) रूस-यूक्रेन विवाद

नाटो के देश इसको रोकने में विफल रहे, कुछ नाटो सदस्य रूस से गैस आपूर्ति पर निर्भर है. तो स्वयं के हितों को प्राथमिकता।

iii) हिन्द महासागर

इंडो-पेसेफिक मे चीन का विरोध तथा USA, जापान, भारत तथा आस्ट्रेलिया का बढ़ता सहयोग।

iv) आर्कटिक क्षेत्र मे

↳ शोध हेतु सहयोग तथा विकासीय गतिविधियों का विरोध।

v) परमपंथ / आतंकवाद का मुद्दा
(निशस्त्रीकरण का मुद्दा)

vi) वैश्विक व्यापार - संरक्षणवाद तथा मुद्रा युद्ध का मुद्दा

↳ चीन तथा अमेरिका के मध्य
↳ विकसित एंव विकासशील देशों के मध्य।
↳ Debt trap policy

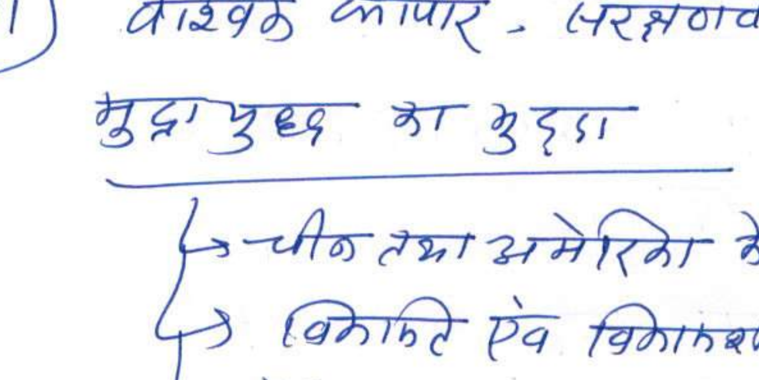

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था इन सभी मुद्दो पर वैश्विक स्तर पर सहयोग करने में विफल रही है तथा विकसित देशों द्वारा वैश्वीकरण के लाभ प्राप्त करने के पश्चात् अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने तथा संरक्षणवाद को बढ़ावा देने के कारण एवं चीन के उभार के कारण मुद्दे आधारित गठबंधनों का विकास हुआ है।

⇒ चीन द्वारा Debt Trap policy अपनाये जाने के कारण विश्व के अनेक देश दिवालिये हो गए है → (इंडोनेशिया, श्रीलंका पाकिस्तान आदि)

इसलिए इन मुद्दो के निपटने हेतु Blue dot Network, B3W जैसे प्रावधान लाए गए है तथा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, UN में सुधार, अंतरिक्ष का मुद्दा, Free & safe Ocean transport etc. आज के प्रचलित मुद्दे है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India intends to achieve a balanced and optimal development of energy infrastructure in the South-Asian region through mutual understanding and cooperation. In light of this statement, discuss the need as well as existing gaps in South Asia's energy cooperation. **(250 words) 15**

भारत पारस्परिक समझ और सहयोग के माध्यम से दक्षिण-एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में एक संतुलन और उसका इष्टतम विकास सुनिश्चित करना चाहता है। इस कथन के आलोक में, दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता और इस संदर्भ में विद्यमान कमियों पर चर्चा कीजिए।

दक्षिण एशिया में शामिल देश विकासशील अवस्था में है इसलिए इनकी विकासीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिक उर्जा की आवश्यकता होगी। इसके लिए उर्जा संबंधी सहयोग आवश्यक है।

उर्जा संबंधी सहयोग की आवश्यकताएं—

i) कच्चे तेल का आयात
व्यापार तथा चालू खाता घाटा
(श्रीलंका में ईंधन, खाद्यान्न संकट)

ii) उर्जा की अधिक आवश्यकता
↳ विकासीय गतिविधियों हेतु
तकनीकी प्रसार
यातायात → इलेक्ट्रिक तथा Hybrid vehicle

iii) SMART cities की परिकल्पना।

iv) उर्जा एक बुनियादी आवश्यकता बन गई है।
↳ खाना पकाने हेतु।
↳ सिंचाई

दक्षिण एशिया में उर्जा सहयोग:-

1) भारत तथा नेपाल दोनो मिलकर जल विद्युत पर कार्य कर रहे है।
↳ अरुण जल विद्युत परियोजना

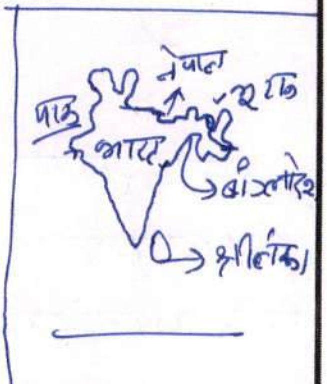

2) भारत तथा भूटान भी जल विद्युत मे सहयोगी है।

3) भारत तथा रूस दोनो मिलकर बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु संयंत्र का विकास कर रहे है।

4) श्रीलंका में उर्जा संकट के निपटने हेतु भारत द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत तथा अन्य दक्षिण एशियाई देश मिलकर एक ग्रिड का निर्माण कर सकते है

- सौर, पवन तथा जल उर्जा की अधिक क्षमता विद्यमान है
- तकनीक तथा जनांकिकी लाभांश के माध्यम से भारत सहयोग कर सकता है
- नवीकरणीय साधनों को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन (INDC) को नियंत्रित किया जा सकता है
  COP-26 की घोषणाओं की प्राप्ति
- ISA (International solar Alliance) मे सहयोग किया जा सकता है

किन्तु दक्षिण ~~भारत~~ एशिया के देशों में आपसी सहयोग की भावना नहीं होने तथा पाकिस्तान के कारण SAARC के विफल होने और भारत को लेकर Big brother Syndrome के विकसित होने के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है।